THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) The suggestion to set up a sub committee for deciding the national wage structure for sugar industry was made by some members in the meeting of the tripartite committee on sugar industry which was held on 18.1.99. The Government is yet to take a final decision on setting up such a sub committee.

(b) and (c) Do not arise as the committee has not been constituted.

बेरोजगारी की घटी हुई दर

700. **श्री ईश दत्त यादव**:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अधिकारित आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी की दर कम हुई हैं,

(ख) यदि हां,तो इस प्रकार के आकंड़ों के स्रोत क्या हैं;और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं?

श्रम मंत्री (डा.सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ),नियोजन एंव कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किए गए नवीनतम श्रम बल सर्वक्षण के अनुसार सामान्य प्रमुख स्थिति के अनुसार 1987-88 से 1993-94 तक की पांच वर्षो की अवधि में बेरोजगारी दर में कमी आई हैं। बेरोजगारी दर 1987-88 के दौरान 3.77 प्रतिशत एंव 1993-94 के दौरान 2.56 प्रतिशत थी।

(ग) नौंवी योजना में अल्प रोजगार की उच्च दर,श्रमिकों की बढती नैमित्तिकता एंव गरीब लोगों के लिए रोजगार अवसरों में वृविद्व करने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है। अत: नौंवी योजना में राष्ट्रीय रोजगार आश्वासन योजना को कार्यान्वित करने पर बल दिया जाएगा।

बेरोजगार व्यक्ति

701. **श्री ईश दत्त यादव**:

चौधरी हरमोहन सिंह यादव:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वे कौन-कौन से स्रोत हैं जिनके माध्यम से सरकार बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करती हैं,

(ख) वर्तमान में बेरोजगार व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी हैं;और

(ग) बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में सरकार की कौन-कौन सी योजनाएं हैं ?

श्रम मंत्री (डा.सत्यनारायण जटिया): (क) देश में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का अनुमान तैयार करने के लिए सूचना का मुख्य स्रोत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन,नियोजन एंव कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा रोजगार एंव बेरोजगारी पर किया जाने वाला पंचवर्षीय सर्वेक्षण है।

(ख) 1993-94 (एनएसएसओ का 50वां चक्र) में बेरोजगार व्यक्तियों के अनुमान को दर्शाने वाला विवरण संलग्र हैं।(**नीचे देखिए**)

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में विकास में रोजगार उपलब्ध कराने वाले प्रमुख गरीबी उपशमन कार्यक्रम एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम,जवाहर योजना एंव रोजगार आश्वासन योजना हैं।

गरीबी उपशमन एंव रोजगार सृजन हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की समीक्षा एंव विश्लेषण पर हाशिम समिति की रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं के परिणामस्वरूप शहरी क्षेत्रों में स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना शुरू की गई हैं एवं एनआरवाई,पीएमएआईयूपीईपी तथा यूपीएसपी (गरीब लोगों हेतु शहरी बुनियादी सेवाएं) को चरणबद्व कर दिया गया है। योजना पर 1.12.1997 से कार्य शुरू कर दिया गया है । एसजेएसआरवाई शहरी बेरोजगारों अथवा अल्प रोजगार प्राप्त गरीब लोगों को स्व-रोजगार उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देने एंव मजदूरी नियोजन के माध्यम से उत्पादक रोजगार उपलब्ध कराने पर बल देती हैं।

ग्रामीण एंव शहरी दोनों ही क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना को एक केन्द्रीय प्लान स्कीम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा हैं।

विवरण

राज्य-वार बेरोजगारी (यू.पी.एस.)*(000 व्यक्ति)

क्र.सं.	राज्य	बेरोजगारी 1993-94
1.	आंध्र प्रदेश	454
2.	अरूणाचल प्रदेश	5
3.	असम	590

क्र.सं.	राज्य	बेरोजगारी 1993-94
4.	बिहार	771
5.	गोवा	57
6.	गुजरात	325
7.	हरियाणा	143
8.	हिमाचल प्रदेश	116
9.	जम्मू और कश्मीर	74
10	कर्नाटक	383
11.	केरल	1139
12.	मध्य प्रदेश	431
13.	महाराष्ट्र	855
14.	मणिपुर	17
15.	मेघालय	4
16.	मिजोरम	2
17.	नागालैंण्ड	10
18.	उड़ीसा	381
19.	पंजाब	163
20.	राजस्थान	109
21.	सिक्किम	2
22.	तमिल नाडु	886
23.	त्रिपुरा	36
24.	उत्तर प्रदेश	711
25.	पश्चिम बंगाल	1228
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	8
27.	चण्डीगढ़	22
28.	दादर और नगर हवेली	1
29.	दमन और दीव	1
30.	दिल्ली	49
31.	लक्षद्वीप	4
32.	पाण्डिचेरी	17
	अखिल भारत	8994

स्त्रोत: एन एस एस ओ,50वें चक्र(1993-94) के मुख्य परिणाम ।

सामान्य प्रमुख स्थिति के आधार पर

श्रम न्यायालयों में दर्ज मामले

702. **श्री डी.पी.यादव**: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998 के अन्त तक देश के श्रमिक न्यायालयों में श्रमिकों की नियुक्ति एंव भुगतान संबंधित दर्ज मामलों की कुल संख्या कितनी हैं;

(ख) इनमें से निपटाये गये मामलों की संख्या कितनी हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि श्रमिकों के पक्ष में निर्णय दिये जाने के बावजूद भी श्रम न्यायालयों के आदेशों का सम्मान नहीं किया जाता हैं;और

(घ) यदि हां,तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रभावी कार्रवाई की गई है ?

श्रम मंत्री (डा.सत्यनारायण जटिया): (क) और(ख) केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों में भुगतान और श्रमिकों की नियुक्ति से संबंधित पंजीकृत मामलों के संबंध में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं । अनुपत्र में वर्णित विवरण में वर्ष 1998 के दौरान (31.10.98 की स्थिति के अनुसार) औद्योगिक विवादों और केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों द्वारा निपटाए गए आवेदनों की कुल संख्या दी गयी हैं । [**देखिए परिशिष्ट** 186,**अनुपत्र सं**. 13]

(ग) और(घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 29 के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति पर बाध्यकारी किसी समझौते अथवा पंचाट की किसी शर्त का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को 6 माह तक की अवधि तक के कारावास अथवा जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता हैं । औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 (म) के अन्तर्गत किसी पंचाट के अंतर्गत किसी नियोजक पर बकाया धनराशि की वसूली की रीती भी निर्धारित की गई है । कोई भी कर्मकार स्वंय अथवा अपनी ओर से लिखित में प्राधिकृत किसी भी अन्य व्यक्ति के माध्यम से अथवा कर्मकार की मृत्यु के मामले में,उसका नामिती अथवा उत्तराधिकारी वसूली की किसी अन्य रीति को ध्यान में रखे बिना अपनी बताया धनराशि की वसूली के लिए समुचित सरकार को आवेदन कर सकता है और यदि समुचित सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसी कोई धनराशि देय है तो वह उस धनराशि की वसूली के जिए कलक्टर के लिए प्रमाण पत्र जारी करेगा जो उस राशि की भू-राजस्व के रूप में वसूली करने के लिए कार्रवाई करेगा। केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाइयां करते हैं कि केन्द्रीय क्षेत्र में पंचाटों को लागू किया जाता है ।